भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *152

जिसका उत्तर 05 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है।

.....

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पानी की उपलब्धता

***152. श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः**
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना खेतों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता बढ़ाने, सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करने और सतत जल संरक्षण पद्धतियों को लागू करने के उद्देश्य से शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों और अब तक हुई प्रगति का महाराष्ट्र के संभाजी नगर (औरंगाबाद), मध्य प्रदेश तथा दादरा और नागर हवेली सहित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पानी की कमी का सामना कर रहे राज्यों में खेतों में पर्याप्त पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कोई उपाय या योजना प्रस्तावित है; और

(घ) यदि हां, तो संभाजी नगर (औरंगाबाद) सहित महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा दादरा और नागर हवेली में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री **श्री सी. आर. पाटील**

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पानी की उपलब्धता' के संबंध में दिनांक 05.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. *152 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): जी, हाँ। प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) एक अम्ब्रेला योजना है, जिसमें जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो प्रमुख घटक शामिल हैं, नामतः - त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)। जबकि एचकेकेपी में चार उप-घटक होते हैं: (i) कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट (सीएडी एवं डबल्यूएम); (ii) सतही लघु सिंचाई (एसएमआई); (iii) जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण एवं पुनरूद्धार (आरआरआर); और (iv) भूजल (जीडब्ल्यू) विकास। वर्ष 2016 में, संशोधित एआईबीपी प्रारूप के शुभारंभ के साथ, एचकेकेपी के सीएडी और डब्ल्यूएम उप-घटक को एआईबीपी के साथ समरूप पारी-पासू कार्यान्वयन किया गया।

इसके अलावा, दिसंबर 2021 में, वर्ष 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। हालांकि, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के तहत भूजल घटक की मंजूरी केवल प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए वर्ष 2021-22 तक अनंतिम रूप से दी गई है, जिसे बाद में चल रहे कार्यों के पूरा किए जाने तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक पहले पीएमकेएसवाई का हिस्सा था, अब इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीओए एंड एफडब्ल्यू) द्वारा अलग से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, वॉटरशेड विकास घटक (डब्ल्यूडीसी) का कार्यान्वयन भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) द्वारा किया जा रहा है।

एआईबीपी घटक देश में नई सिंचाई क्षमता के सृजन/सिंचाई क्षमता की बहाली के लिए वृहद एवं मध्यम तथा विस्तार, नवीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर देता है। सीएडी एंड डब्ल्यूएम सृजित सिंचाई क्षमता और इसके उपयोग के बीच के अंतर को कम करने और जल की बरबादी को कम करने के लिए खेत पर जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए कमान क्षेत्र विकास के कार्यों के लिए समर्पित है। एचकेकेपी-एसएमआई और आरआरआर सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेत पर पानी की पहुंच बढ़ाने और खेती योग्य क्षेत्र के विस्तार के लिए लघु सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित हैं। पीडीएमसी ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी प्रिसिजन-सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों को अपनाने से संबंधित है। डब्ल्यूडीसी, मृदा और जल संरक्षण, भूजल के उत्थान, रन-ऑफ को रोकने और जल संचयन, जल प्रबंधन और किसानों के लिए फसल संरेखण आदि से संबंधित विस्तार कार्यकलापों को बढ़ावा देने की दिशा में वर्षा सिंचित क्षेत्रों के एकीकृत विकास की दिशा में कार्य करता है।

(ख): वर्ष 2016-17 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत 18 राज्यों में फैली 99 चल रही वृहद/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं (एमएमआई) (और 7 चरणों) की पहचान की गई थी, जिसमें राज्यों के परामर्श से 88 परियोजनाओं में सीएडी और डब्ल्यूएम के कार्यान्वयन के पारी-पासू चरणों में पूरा किया जाना था। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत 62 एमएमआई परियोजनाओं के पूरा होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें वर्ष 2016-24 के दौरान इन परियोजनाओं के माध्यम से 25.80 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन हुआ है, जबकि शेष सिंचाई क्षमता 34.64 लाख हेक्टेयर है। वर्ष 2016-24 के दौरान 19.28 लाख हेक्टेयर का कमान क्षेत्र विकास हासिल किया गया है।

वर्ष 2021-22 से योजना में नौ (09) नई एमएमआई/ईआरएम परियोजनाओं को शामिल किया गया है। इन परियोजनाओं द्वारा सृजित की जाने वाली लक्षित क्षमता 4.01 लाख हेक्टेयर है। वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत नई शामिल परियोजनाओं से सृजित सिंचाई क्षमता 0.31 लाख हेक्टेयर है।

एचकेकेपी-एसएमआई और आरआरआर के तहत वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 के दौरान सिंचाई क्षमता सृजन का लक्ष्य 3.50 लाख हेक्टेयर था, जबकि 3.89 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता हासिल की गई थी। इसके अलावा, पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-एसएमआई और आरआरआर के तहत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के दौरान सिंचाई क्षमता सृजन का लक्ष्य 4.5 लाख हेक्टेयर रखा गया है। वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 के दौरान एचकेकेपी-एसएमआई और आरआरआर के तहत 75.32 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

इसके अलावा, वर्ष 2016-24 के दौरान, कृषि एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीडीएमसी स्कीम के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 84.11 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। पीएमकेएसवाई के वाटरशेड विकास घटक के तहत भूमि विभाग द्वारा 89.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कुल 9,364 परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं।

पीएमकेएसवाई के विभिन्न घटकों के तहत अब तक हुई वास्तविक प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दर्शाया गया है।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी, सीएडीडब्ल्यूएम और पीएमकेएसवाई के अन्य घटकों के तहत महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों में अब तक की गई वास्तविक प्रगति नीचे दी गई है:

पीएमकेएसवाई के घटक	**महाराष्ट्र में अब तक हुई वास्तविक प्रगति**	**मध्य प्रदेश में अब तक हुई वास्तविक प्रगति**
पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और सीएडीडब्ल्यूएम	पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत, महाराष्ट्र राज्य से 28 परियोजनाएं शामिल की गई हैं	पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत, 21 परियोजनाओं (14 परियोजनाओं और 7 चरणों) को

पीएमकेएसवाई के घटक	महाराष्ट्र में अब तक हुई वास्तविक प्रगति	मध्य प्रदेश में अब तक हुई वास्तविक प्रगति
	और शेष सिंचाई क्षमता 5.56 लाख हेक्टेयर सृजित की जानी है। सीएडी एवं डब्ल्यूएम के तहत 2.19 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कमान क्षेत्र विकास के साथ एआईबीपी घटक के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से वर्ष 2023-24 के दौरान 16 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और 3.77 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। **महाराष्ट्र राज्य से पीएमकेएसवाई-एआईबीपी की एक परियोजना अर्थात् नादुर मधमेश्वर चरण-II (प्रमुख) सिंचाई परियोजना संभाजी नगर (औरंगाबाद जिला) को लाभ प्रदान कर रही है, जो वर्ष 2018-19 में पूरी हुई थी।**	शामिल किया गया है और शेष सिंचाई क्षमता 2.54 लाख हेक्टेयर के रूप में सृजित की जाएगी। इनमें से अब तक 17 परियोजनाएं (12 परियोजनाएं और 5 चरण) पूरी हो चुकी हैं। एआईबीपी के अंतर्गत 1.83 लाख हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता सृजित की गई है जिसमें सीएडी एवं डब्ल्यूएम के अंतर्गत 2.89 लाख हेक्टेयर में कमान क्षेत्र विकास का कार्य किया गया है।
पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी	पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत महाराष्ट्र में मार्च, 2022 तक 5.128 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की कुल 1,186 परियोजनाएं पूरी हुईं। पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत महाराष्ट्र में 5.26 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए 140 और परियोजनाएं शुरू की गई हैं।	पीएमकेएसवाई 1.0 के तहत मध्य प्रदेश में 2.937 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हुए कुल 517 परियोजनाएं पूरी की गईं। पीएमकेएसवाई 2.0 के तहत मध्य प्रदेश में 5.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली 85 और परियोजनाएं शुरू की गई हैं।
पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी	वर्ष 2016-17 से वर्ष 2023-24 के दौरान महाराष्ट्र में सूक्ष्म सिंचाई-पीडीएमसी योजना के तहत 9.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है।	मध्य प्रदेश में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2023-24 के दौरान सूक्ष्म सिंचाई-पीडीएमसी योजना के तहत 3.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कवर किया गया है।

दादरा और नगर हवेली में पीएमकेएसवाई के तहत कोई परियोजना कार्यान्वित नहीं की जा रही है।

(ग) और (घ): भारत सरकार द्वारा 93,068.56 करोड़ रुपये (37,454 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता, नाबार्ड की 20,434.56 करोड़ रुपये की डेट सर्विसिंग और हिस्सेदारी के लिए राज्य के शेयर हेतु राज्य सरकारों द्वारा 35,180 करोड़ रुपये का परिव्यय) के साथ वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई को बढ़ाने का अनुमोदन दिया गया है। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में क्रमशः रेणुकाजी बांध और लखवाड़ बहुउद्देशीय (राष्ट्रीय) परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता भी अनुमोदित की गई है। इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएमकेएसवाई के कुछ घटकों में देश में कृषि की समस्या वाले क्षेत्रों के समावेशन और वित्त पोषण अनुपात के लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं।

इसके अलावा, विदर्भ और मराठवाड़ा तथा शेष महाराष्ट्र के सूखा प्रवण जिलों में चरणबद्ध तरीके से 13,651.61 करोड़ रुपये की शेष लागत के साथ 83 सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं और 8 वृहद/मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं को पूरा करने के लिए जुलाई, 2018 में भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के लिए एक विशेष पैकेज शुरू किया गया है। इनमें से अब तक 53 एसएमआई परियोजनाओं और 2 एमएमआई परियोजनाओं के पूरा होने की सूचना मिली है। इस योजना के तहत अब तक 3.77 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से मार्च, 2024 तक 1.66 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है।

महाराष्ट्र की पांच लघु उद्योग परियोजनाओं के विशेष पैकेज से महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले को लाभ प्राप्त होता है। कुल 1040 हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता वाली तीन परियोजनाएं बनोटी, वानगांव पोहरी और सावलादबारा एसटी पूरी हो चुकी हैं, जबकि 1,267 हेक्टेयर की कुल सिंचाई क्षमता वाली तितवी और देवगांव रंगारी नामक दो परियोजनाएं चल रही हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार ने दिसंबर, 2021 में 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में केन-बेतवा लिंक परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया है।

वर्ष 2018 में, भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर और पंजाब को लाभान्वित करने वाली शाहपुरकंडी बांध (राष्ट्रीय) परियोजना और पंजाब और राजस्थान को लाभान्वित करने वाले राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर की रिलाइनिंग को वित्तीय सहायता प्रदान करने का भी अनुमोदन प्रदान किया है। इसके अलावा, बिहार और झारखंड की उत्तरी कोयल परियोजना को पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित किया गया है।

*****

<u>अनुलग्नक</u>

'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत पानी की उपलब्धता' के संबंध में दिनांक 05.12.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *152 भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

क. <u>पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी के अंतर्गत वर्ष 2016-17 से वर्ष 2023-24 के दौरान राज्यवार सृजित सिंचाई क्षमता/विकसित कमान क्षेत्र</u>

हजार हेक्टेयर में क्षेत्रफल

क्र.सं.	राज्यों का नाम	पीएमकेएसवाई - एआईबीपी के तहत सृजित सिंचाई क्षमता (आईपी)	सीएडी और डब्ल्यूएम के तहत विकसित कमान क्षेत्र	पीएमकेएसवाई -एचकेकेपी- एसएमआई के तहत सृजित आईपी	पीएमकेएसवाई - एचकेकेपी- आरआरआर के तहत सृजित आईपी	जीडब्ल्यू के तहत सृजित आईपी
1	आंध्र प्रदेश	24.33	0.93	0.00	0.00	-
2	अरुणाचल प्रदेश	--	--	17.86	--	3.742
3	असम	36.55	25.40	116.44	--	38.648
4	बिहार	19.69	19.13	33.8	21.79	-
5	छत्तीसगढ़	16.76	8.78	4.87	0.00	-
6	गोवा	4.24	6.70	--	--	-
7	गुजरात	610.90	1,030.54	--	3.90	1.866
8	हिमाचल प्रदेश	0.66	--	22.57	--	-
9	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	6.52	2.28	33.1	--	-
10	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	0.00	--			-
11	झारखंड	79.80	0.00	6.09	--	-
12	कर्नाटक	115.86	42.08	3.48	--	-
13	केरल	2.59	1.50	--		-

14	मध्य प्रदेश	182.94	289.11	31.83	8.00	-
15	महाराष्ट्र	385.96	218.78	--	--	-
16	मणिपुर	24.46	8.67	17.93	0.62	2.057
17	मेघालय	--	--	26.47	0.88	-
18	मिजोरम	--	--	1.93	--	0.553
19	नागालैंड	--	--	12.84	--	0.667
20	ओडिशा	87.44	85.49	--	27.92	-
21	पंजाब	34.99	73.53	--	--	-
22	राजस्थान	16.38	82.47	--	15.33	-
23	सिक्किम	--	--	4.18	--	-
24	तमिलनाडु	5.23	--	--	12.27	0.610
25	तेलंगाना	189.52	10.68	--	16.31	-
26	त्रिपुरा	0.00	--	0.00	--	3.009
27	उत्तर प्रदेश	766.93	21.71	--	2.35	36.365
28	उत्तराखंड	0.00	--	21.27		1.030
	कुल	**2611.75**	**1927.77**	**354.66**	**109.37**	**88.547**

ख. **पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी और डब्ल्यूडीसी के तहत राज्यवार प्रगति**

(हेक्टेयर लाख में)

क्र.सं.	**राज्य**	**पीएमकेएसवाई-पीडीएमसी के माध्यम से प्रिसिशन सिंचाई के तहत लाया गया क्षेत्र**	**पीएमकेएसवाई-डब्ल्यूडीसी के तहत कवर किए गए परियोजना का क्षेत्र**
1	आंध्र प्रदेश	8.37	4.25
2	अरुणाचल प्रदेश	0.13	1.98
3	असम	0.45	2.94
4	बिहार	0.25	2.33

5	छत्तीसगढ़	1.40	3.70
6	गोवा	0.008	0.20
7	गुजरात	9.74	6.03
8	हरियाणा	1.75	0.67
9	हिमाचल प्रदेश	0.076	1.38
10	झारखंड	0.36	2.39
11	जम्मू और कश्मीर	0.01	1.30
12	कर्नाटक	19.41	5.47
13	केरल	0.05	0.68
14	मध्य प्रदेश	3.31	8.03
15	महाराष्ट्र	9.90	10.39
16	ओडिशा	1.24	4.64
17	पंजाब	0.14	0.60
18	राजस्थान	7.67	13.27
19	तमिलनाडु	11.03	2.72
20	तेलंगाना	2.88	2.87
21	उत्तराखंड	0.32	1.05
22	उत्तर प्रदेश	3.92	5.69
23	पश्चिम बंगाल	1.05	1.98
24	मणिपुर	0.15	1.08
25	मेघालय	0.00	0.86
26	मिजोरम	0.046	0.87
27	नागालैंड	0.25	0.80
28	सिक्किम	0.15	0.27
29	त्रिपुरा	0.045	0.53
30	लद्दाख	0.00	0.26
	कुल योग	**84.11**	**89.23**

*****